104

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण कमांक /निगरानी/2014 R.2581-II\14

जसरथ सिंह आ. श्री देवकरण आयु वयस्क,
निवासी ग्राम बावपूरा तहसील आष्टा जिला
सीहोर म0प्र0 .....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

01. छीतूलाल आ. श्री मंदरूप सिंह आयु वयस्क,
02. मेहरबान सिंह आ. श्री हीरालाल आयु वयस्क,
03. सेजमल आ. श्री बलवंत सिंह आयु वयस्क,
04. हमीर सिंह आ. श्री देवा जी आयु वयस्क
05. गिरधारी आ. श्री देवा जी आयु वयस्क,
06. उरजन आत्मज श्री देवा जी आयु वयस्क,
07. जुझार सिंह आ. श्री देवा जी आयु वयस्क ,
सभी जाति बलाई,
08. कैलाश आ. श्री देवकरण आयु वयस्क,
09. मुंगेरी आ. श्री कैलाश आयु वयस्क
10. संजय आ. श्री कैलाश आयु वयस्क
सभी निवासी ग्राम बाउपुरा
तहसील आष्टा जिला सीहोर म0प्र0 .....रेस्पाण्डेंटगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्व आदेश दिनांक 26/06/2014 प्रकरण कमांक 2/अ–13//13–14 (छीतूलाल विरूद्व कैलाश व अन्य) पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय आष्टा द्वारा पारित किया गया।

प्रकरण जो आहुत किये जाने हैः–

01. **प्रकरण कमांक 2/अ–13//13–14 (छीतूलाल विरूद्व कैलाश व अन्य) पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय आष्टा दिनांक 26/06/2014**

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता माननीय अधीनस्थ तहसीलदार महोदय, के न्यायालय द्वारा पारित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता हैः–

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पाण्डेंट कमांक 01 से लेकर 07 द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 131 म.प्र.भू.रा.सं. के तहत प्रस्तुत कर बिना किसी सर्वे नंबर का

निरंतर पेज 2 पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक 2581–दो/2014 निगरानी जिला सीहोर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
26-06-18	पूर्व पेशी पर आवेदक एंव अनावेदकगण के अभिभाषक को सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार आष्ठा जिला सीहोर के प्रकरण 2 अ–13/2013–14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26–6–2014 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने तहसीलदार आष्ठा के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 131 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उनके स्वामित्व में ग्राम मुरादपुर की कुल किता 8 कुल रकबा 28.85 एकड़ भूमि है । इस भूमि पर वह आवेदक की भूमि में से कदीमी रास्ते से होकर बैल गाड़ी, ट्रेक्टर लेकर पूर्वजों के समय से आते जाते हैं परन्तु आवेदक ने आने जाने से रोक दिया है एंव जमीन हांक जोतकर व वागढ़ लगाकर रास्ता बंद कर दिया है इसलिये रास्ता खुलवाया जावे। सुनवाई के दौरान आवेदक ने अनावेदकगण के आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार आष्ठा ने संहिता की धारा 32 सहपठित 51 के आवेदन पर अंतरिम आदेश दिनांक 26–6–14 पारित किया तथा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित होने तक ग्राम बाडपुरा की खसरा नंबर 32/4 एंव 33 की मध्य मेढ़ से रास्ता खुलवाये जाने के आदेश दिये हैं। इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी है। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार आष्ठा के अंतरिम आदेश दिनांक 26–6–14 के अवलोकन से परिलक्षित है कि	

तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक से मौके की जांच कराई है जिसके अनुसार खसरा नंबर 31 शासकीय नाले से भूमि खसरा नंबर 33 की मेढ से होकर शासकीय रास्ता पक्की सड़क से ग्राम तक जाता है। भूमिस्वामी कृषक रेशमवाई पत्नि देवकरण जाति पंवार ने भूमि खसरा नंबर 32/4, 33 की मेढ़ एंव 32/5 के भूमिस्वामी घासीराम बल्द भेरूलाल व्दारा गडडे खोदकर रास्ता बंद करना पाया गया है। भूमि खसरा नंबर 32/4 की भूमिस्वामी रेशमवाई पत्नि देवकरण व्दारा खेत को आवाद कर रास्ता बंद करने से आवेदक को अपनी भूमि में कृषि कार्य नहीं कर पा रहे हैं एंव वादग्रस्त भूमि में से रास्ते को बंद करने से स्कूल के बच्चों को मिटटी के कारण निकलने में कठिनाई आती है।

फलस्वरूप तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 26–6–14 पारित करके कृषि कार्य अवरोधित न होने पावे, बैकल्पिक व्यवस्था करते हुये रास्ता खुलवाने के आदेश देने में त्रृटि नहीं की है। तहसीलदार ने सुनवाई हेतु आगामी पेशी 4–7–14 नियत की है मौके पर रूढ़िगत रास्ता नहीं है अथवा है? दोनों पक्षकारों को तहसीलदार के समक्ष अपना – अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदक को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

4/ उपरोक्त विवेचना स्वरूप निगरानी सारहीन होने से निरस्त करते हुये तहसीलदार आष्ठा जिला सीहोर व्दारा प्रकरण 2 अ–13/2013–14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26–6–2014 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य